शीर्ष प्राथमिकता

पत्रांक// परिपत्र/आं0सं0/2020-21// 106 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 9 :: जुलाई,2020

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर,
आगरा, मुरादाबाद, कानपुर जोन-प्रथम, इलाहाबाद
फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी जोन प्रथम।
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, नोएडा।

सरकारी सेवक/ सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवा लाभों के नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण एवं उसकी जॉच हेतु मुख्यालय द्वारा समय- समय पर कई परिमत्र निर्गत किये गये है।

शासनादेश सं0-1375/21-11-16 द्वारा कार्मिकों के वेतन निर्धारण /उनके देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनाने एवं उसकी जॉच उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण / देयों के आगणन की जॉच में कदाश्यता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसा देखा जा रहा है कि जोनल स्तर पर कार्मिकों के वेतन निर्धारण की जॉच नियमित तौर पर नही की जा रही है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि जोन में (प्रथम एवं द्वितीय जोन) में कार्यरत सम्प्रेक्षकों से जोनल अधिष्ठान के समस्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण की जॉच प्राथमिकता से कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण आदेशों का संशोधन कराते हुए दिनॉक 05 अगस्त 2020 तक मुख्यालय को अवगत कराये।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि :- ज्वा0कमि0(आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।